न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3937–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 09/2014–15/अपील.

1– मोहनलाल पिता हरी कुल्मी
2– मोहित पिता जगदीश कुल्मी
3– कांताबाई बेवा जगदीश कुल्मी
निवासीगण ग्राम मनावर
तहसील मनावर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– लीलाबाई पति मोती लाल पिता हरी कुल्मी
2– शिवकुंवर बाई बेवा हरी कुल्मी
3– रामेश्वर पिता हरी कुल्मी
निवासीगण ग्राम मनावर
तहसील मनावर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री महक अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मनावर स्थित भूमि सर्वे कमांक 10/1, 12/2, 92/1, 93/1/1, 93/3/2, 16/2/1 एवं 401/2 कुल किता 7 कुल रकबा 5.230 हेक्टेयर भूमि मोहनलाल, रामेश्वर, लीलाबाई, शिवकुंवर बाई, मोहित, मोनिका, मनीषा एवं कांताबाई के नाम शामिलाती स्वामित्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । पटवारी एवं तहसीलदार, मनावर जिला धार द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 75 पर दिनांक 26–4–2008 को आदेश पारित कर बिना हक त्याग के लीलाबाई, मोनिका एवं मनीषा की शादी हो जाने के कारण उनके नाम कम कर दिया गया । उक्त गंभीर अनियमितता के कारण तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी, मनावर

जिला धार से अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–7–2014 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–10–14 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि नामांतरण पंजी पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होने से वह अंतिम हो गया है, और शिकायत के आधार पर 6 वर्ष पश्चात पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 76 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा बिना हक त्याग के लीलाबाई, मोनिका एवं मनीषा के नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि बिना विधिसम्मत अंतरण के भूमिस्वामी का नाम कम नहीं किया जा सकता है ।

(2) राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को सुधार करने का अधिकार वरिष्ठ न्यायालयों को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अपर आयुक्त के समक्ष विधि अनुसार अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा दिनांक 14–10–14 को सुस्पष्ट आदेश पारित किया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, और तहसील न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, और सभी हितबद्ध पक्षकारों को

सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों के तहत पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधिवत बटवारा करने में फर्द बटवारा तैयार की जाकर उस पर सुनवाई करते हुए बटवारा आदेश पारित किया जाता है । अतः तहसील न्यायालय के आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त चूंकि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर